झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश(मानसून)सत्र
वर्ग–04

28 आषाढ़, 1940 (श0)
निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक– :---------- को
19 जुलाई, 2018 (ई0)
झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(39)–	अ0सू0–03	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	बिजली बिल बढ़ाने का औचित्य।	ऊर्जा	07.07.18
(40)–	अ0सू0–02	श्री जगरनाथ महतो	मुआवजा एवं नौकरी देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	07.07.18
(41)–	अ0सू0–05	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	10.07.18
(42)–	अ0सू0–09	डॉ0 इरफान अंसारी	JSWC का गठन।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.07.18
(43)–	अ0सू0–08	श्रीमती विमला प्रधान	दोषी पर कार्रवाई।	कल्याण	11.07.18
(44)–	अ0सू0–06	श्री अरूप चटर्जी	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	10.07.18
(45)–	अ0सू0–10	श्री दीपक विरूवा	रोक लगाना।	जल संसाधन	12.07.18
(46)–	अ0सू0–12	श्री शिवशंकर उराँव	जिम्मेदारी देना।	कल्याण	13.07.18
(47)–	अ0सू0–11	श्रीमती निर्मला देवी	दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	12.07.18

(42) कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरित।

कृ0 पृ0 उ0-----

01	02	03	04	05	06
(48)-	अ0सू0-07	श्री राजकुमार यादव	सब्सीडी देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.07.18
(49)-	अ0सू0-04	श्री अरूप चटर्जी	मानदेय में वृद्धि करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	07.07.18
(50)-	अ0सू0-01	श्री प्रदीप यादव	ऊर्जा नीति के अनुरूप फैसला लेना।	ऊर्जा	05.07.18
(51)-	अ0सू0-13	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	बाँध का गहरीकरण।	जल संसाधन	13.07.18

रॉंची
दिनांकः- 2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-3252/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-16/07/2018

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-3253/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-16/07/2018

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान सभा,रॉंची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-3253/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-16/07/2018

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

16/07/18

मंगल

(39)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रवीन्द्र नाथ महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु उपभोक्ता वर्ग के लिए पूर्व में 1.25 रूपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बील लिया जा रहा था और अभी लगभग 4.40 रूपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ता वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है।		आंशिक स्वीकारात्मक है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्र के DS-IA श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश 2016-17 के आधार पर रु0 1.25 प्रति यूनिट किया जाता था, जबकि टैरिफ आदेश 2018-19 के आधार पर रु0 4.40 प्रति यूनिट है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा रु0 3.00 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि घटाने के बाद प्रभावी दर रु0 1.40 प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है।		अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी की सुविधा, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू, वाणिज्य (ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र में दी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बताएगी कि ग्रामीण ईलाकों में घरेलु उपभोक्ता वर्ग के लिए इतना ज्यादा बिजली बिल बढ़ाने का औचित्य क्या है?		उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1740 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

40

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (40)

दिनांक 19.07.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जगरनाथ महतो,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के चैनपुर पंचायत स्थित मेगरगडी गाँव की 58 वर्षीय महिला सावित्री देवी की मौत भूख से हो गयी है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है, कि सावित्री देवी के यहाँ अन्न के अभाव में तीन दिनों से चूल्हा नहीं जला था;	स्व० सावित्री देवी के परिजनों द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुसार उनके यहाँ तीन दिनों से खाना नहीं बना था।
(3) क्या यह बात सही है, कि सावित्री देवी का पुराना राशन कार्ड वर्ष 2012 में रद्द होने पश्चात् फरवरी 2018 में ऑनलाईन आवेदन करने के बाद भी राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया था;	अस्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिम्मेदार पदाधिकारी को दण्डित करते हुए सावित्री देवी का आश्रित को दस लाख मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 06–08 (वि०स०) 17/2018– 2337 /राँची, दिनांक 18/07/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2982/वि०स०, दिनांक 07.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18

सरकार के उप सचिव।

41

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०झा०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर।

क्र०सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 में डेयरी योजना की राशि लैप्स हो गई;	अस्वीकारात्मक। संबंधित वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कोई राशि लैप्स नहीं हुई है। 2016–17 एवं 2017–18 में गढ़वा जिला के लिए संबंधित योजना (90% अनुदान पर बी०पी०एल० महिलाओं को दो दुधारू गाय वितरण की योजना) अन्तर्गत आवंटित राशि की शत–प्रतिशत निकासी की गयी।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 दलित .. परिवार तथा 2017–18 में 200 बीपीएल महिलाओं को मिलने वाली दुधारू पशुओं की राशि भी लैप्स करा दिया गया;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में 200 बी०पी०एल० महिलाओं को मिलनेवाली दुधारू पशुओं की कोई राशि लैप्स नहीं हुई है।
3	क्या यह बात सही है कि लगातार दो साल से पशुओं के लिए हरा चारा के लिए आयी राशि के लैप्स हो जाने से पशुपालकों को पशुपालन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पशुओं के हरा चारा की राशि लैप्स नहीं हुई, बल्कि स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के क्रम में संबंधित लाभुकों के चयन में प्रक्रियात्मक समय लगने के कारण राशि की निकासी नहीं की जा सकी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरा चारा से पशुपालकों द्वारा पशुपालन–कार्य किया गया। इस संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए पशुपालकों के हित में दो वित्तीय वर्ष में लैप्स हुई राशि को भी इस वित्तीय वर्ष में जोड़कर पशुपालकों के हित में कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में अंकित तथ्यों के आलोक में प्रथम दृष्ट्या लापरवाही का मामला प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक पशुपालकों के हित में कार्य करने का संबंध है तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या– 6 वि/वि०स० (अल्पसूचित)–115/2018 प०पा०/ 847 **/राँची, दिनांक** 17.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–प्र० 3095/वि०स० दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

42

श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गठन होने के 18 वर्षों के बाद भी अभी तक BSWC (Bihar State Warehouse Corporation) के तर्ज पर JSWC के गठन नहीं होने के कारण राज्य को प्रति वर्ष करोड़ों रूपये की वित्तीय क्षति हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब JSWC का गठन कर राज्य के वित्तीय क्षति को रोकने की दिशा में ठोस निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	JSWC (Jharkhand State Waerhouse Corporation) के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

18/7/18
(राम प्रकाश मण्डल)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–04/समिति (विधान सभा)–32/2018 सह0 1195 /राँची, दिनांक– 18·07·18

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 3175/वि0स0 दिनांक 11.07.2018, जो खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक–2276 दिनांक–13.07.2018 द्वारा विभाग को अंतरित किया गया है, के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(43)

श्रीमती विमला प्रधान ,स०वि०स० द्वारा दिनांक –19.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० –अ०सू०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य को शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के आय वृद्धि योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA TO TSP) मद में राशि आवंटित की जाती है ;	SCA to TSS के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के मध्य के अन्तर को दूर करने (To Bridge gap) हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन–सहन स्तर में सुधार, गरीबी तथा बेरोजगारी आदि हेतु राशि विमुक्त की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा 2017–18 में माननीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद कुल 43 करोड़ 37 लाख 41 हजार रू० का उपावंटन शिक्षा विभाग के विद्यालय एवं वर्ग कक्षा निर्माण कराये जाने हेतु किया गया है ;	विभागीय आवंटनादेश संख्या– 327 दिनांक–28.11.17, 162 दिनांक– 14.06.18 एवं 463 दिनांक–23.03.18 द्वारा SCA to TSS मद के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विद्यालय भवन, Multi Purpose Hall एवं वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु कुल राशि– 3940.14 लाख आवंटित है।
3.	क्या यह बात सही है कि बिना किसी प्राधिकृत/अनुमोदन/स्वीकृत प्राप्त किये बिना ही उक्त राशि से राज्य के जिलों में वर्ग निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है जिसमें खूँटी और सिमडेगा के लिए 4 करोड़ 80 लाख रू० का आवंटन किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–15011/04/2016–TSP दिनांक– 15.12.16 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति (Executive Committee) के स्वीकृति के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में गठित योजना मूल्यांकण समिति (Project Appraisal Committee) के स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति के पश्चात स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विद्यालय भवन एवं वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु कुल राशि–3940.14 लाख का आवंटन किया गया जिसमें खूँटी एवं सिमडेगा जिला का रू० 922.55 लाख का आवंटन शामिल है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जनजातियों के आय वृद्धि एवं विकास योजना के वर्ग निर्माण हेतु आवंटन/आदेश देने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–15/SCA to TSS वि०स०प्र० –11/2018 2513 राँची, दिनांकः– 17.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –3173, दिनांकः– 11.07.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7.18

(एस० के० लाल)
सरकार के उप सचिव।

(44)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि JBVNL के गठन के पूर्व वर्ष 2009–10 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु आठ निजी कंपनियों को कार्य सौंपा गया था, जिन्हें उक्त कार्यों के ऐवज में जब आखिरी भुगतान विभाग के तरफ से कंपनियों को कराया था तो बिना TDS कोड ही विभाग ने इन कंपनियों को 15 करोड़ रूपये का TDS का सर्टिफिकेट दे दिया।		आंशिक अस्वीकारात्मक। उपरोक्त प्रश्न के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2006–07 में राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सिर्फ चार निजी कंपनियों को ही सात पैकेज का कार्य सौंपा गया था। उक्त कंपनियों में से अभी तक किसी भी कंपनी का आखिरी भुगतान (Contract closure) नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कारणों से आयकर विभाग ने बोर्ड को 15 करोड़ की TDS राशि को संबंधित कंपनियों से वसूलते हुए आयकर विभाग में जमा करने का नोटिस दिया गया किन्तु इसके विपरित बोर्ड ने अपने फंड से ही आयकर विभाग को उक्त TDS राशि जमा करवा दिया।		आंशिक स्वीकारात्मक। उपरोक्त प्रश्न के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2008–09 में आयकर विभाग द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने विद्युतीकरण योजनाओं में वर्ष 2006–07 से लेकर सर्वे की तिथि तक किये गये सामग्रियों की आपूर्ति पर भुगतान की राशि का दो प्रतिशत की दर से TDS जमा करने हेतु कहा गया था जबकि यह राशि नियमानुकूल कटौती नहीं की जानी थी। फिर भी आयकर विभाग द्वारा TDS राशि नहीं जमा करने की स्थिति में दण्डात्मक ब्याज, जुर्माना एवं अभियोजन तथा बोर्ड के बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी भी दी गई थी। चूंकि सामग्रियों की आपूर्ति के विरूद्ध अधिकतम भुगतान वर्ष 2006–07 से सर्वे की तिथि तक किया जा चुका था और उस समय निगम के पास निजी कंपनियों का विपत्र उपलब्ध नहीं था, अतः ACIT, TDS Circle, Ranchi (आयकर विभाग) के आदेशानुसार TDS की राशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मद की राशि से जमा कर दी गई जिसे भविष्य में निजी कंपनियों के विपत्र से समायोजित करना था।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित यह मामला JBVNL गठन के उपरांत बोर्ड के CMD आर0के0 श्रीवास्तव के संज्ञान में आया जिन्होंने बोर्ड के इस नियम विरूद्ध कार्य से हुए 15 करोड़ की राजस्व नुकसान की जाँच हेतु बोर्ड के MD तथा GM (HR) को दिनांक 29.02.2017 को एक पत्र लिखकर इन मामलों की जाँच आई0जी0 विजिलेंस की टीम बनवाकर करवाने के लिए कहा गया था परन्तु इन विषयों पर आज दिनांक 03.07.2018 तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है।		स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषय का उच्च स्तरीय समिति से जाँच कराकर दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		प्रश्नगत प्रकरण की जाँच कराते हुए दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1756 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018
सरकार के संयुक्त सचिव

(45)

श्री दीपक बिरूआ, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 27 जून, 2018 को विभागीय अपर मुख्य सचिव व प्रशासक एवं मुख्य अभियंता के साथ सम्पन्न संयुक्त बैठक में प० सिंहभूम जिला में ईचा खरकई डैम हेतु वर्ष 1979 में जितनी जमीन अधिगृहित है उतने में ही डैम का प्राक्कलन तैयार कर नया निविदा निकालने का निर्णय लिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिविल अपील सं०– 6125/2016 राज्य सरकार बनाम एम/एस०सी०डब्लु० ई० सोमा कोनसोरजिम के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय की कण्डिका–22 में उक्त डैम हेतु नये निविदा निकालने पर रोक है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के विरूद्ध लिये गये निर्णय पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	न्याय निर्णय की कंडिका–22 में यह संदर्भित किया गया है कि योजना हेतु पुनः निविदा आमंत्रित के पूर्व कतिपय बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक निदान किये जायेंगे। इस सन्दर्भ में वर्त्तमान में जहाँ तक भू–अर्जन 90% से अधिक है, वहाँ तक जलस्तर को तत्काल स्थित रखते हुए, बाँध निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। क्रमबद्ध रूप से भू–अर्जन एवं पुनर्वास के बाद जलस्तर बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–06/2018 – 3061 /राँची, दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3182 वि०स० दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(46)

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर सामग्री।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में जनजाति इलाकों में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के हित में कई आश्रम स्कूलों, आवासीय विद्यालयों और जनजाति छात्रावासों का संचालन कर रही है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा संचालित ऐसी इकाईयों की देखरेख एवं संचालन में भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप इकाईयों के विद्यालय भवन, छात्रावास भवन मेंटेनेन्स के अभाव में जीर्णवस्था में पहुँच गए हैं;	अस्वीकारात्मक। आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों (आश्रम विद्यालयों सहित) के मरम्मति/जीर्णोद्धार की 174 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹56,05,99,134.00 मात्र एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के मरम्मति/जीर्णोद्धार की 70 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹8,95,94,402.00 मात्र राशि जिलों को आवंटित की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि जनजातीय विद्यार्थियों के सहायतार्थ संचालित ऐसे कार्यक्रमों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनजाति छात्रहित में ऐसी इकाईयों के वर्तमान विद्यालय प्रबंधन को ही समस्त भवन आदि की देखरेख, मेंटेनेन्स की जिम्मेदारी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में वर्तमान में संचालित 11 आश्रम विद्यालयों में से 08 (आठ) आश्रम विद्यालयों का संचालन वित्तीय वर्ष 2017–18 में बनकर तैयार हुए नये विद्यालय भवन में किया जा रहा है। जो 03 (तीन) आश्रम विद्यालय पूर्व से संचालित हैं उनके भी सम्पूर्ण जीर्णोद्धार की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदान करते हुए ₹6,99,41,650.00 मात्र राशि जिलों को आवंटित की गयी है। इन विद्यालयों का माध्यमिक परीक्षाफल विगत वर्षों में लगातार शत प्रतिशत रहा है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड आश्रम एण्ड एकलव्य विद्यालय एजूकेशन सोसायटी निबंधित है। विभागीय अधिसूचना संख्या–327, दिनांक–23.01.2018 के द्वारा विभाग अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार/संचालन/संधारण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली निर्गत है जिसके द्वारा विभाग अन्तर्गत निर्मित छात्रावासों के संबंधित संस्थान को हस्तगत कराने के पश्चात उनके संचालन/संधारण/प्रबंधन/मरम्मति/जीर्णोद्धार की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान को सौंपा जा चुका है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–09/2018–क– 2504 राँची, दिनांक– 17.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3226 दिनांक–13.07.2018 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7.18

(एस० के० लाल)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 48

दिनांक 19.07.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 07 का उत्तर प्रतिवेदन।

48

प्रश्नकर्त्ता,
श्री राजकुमार यादव
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि राज्य में BPL कार्डधारियों, अन्त्योदय कार्डधारियों को किरासन तेल दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्य यह बात सही है कि उपरोक्त कार्डधारियों तथा अन्य लोगों से जन वितरण ठेला भेण्डरों द्वारा 42/रू० प्रतिलिटर की दर से तेल की राशि ली जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। किरासन तेल का दर माहवार एवं जिलावार अलग–अलग होता है।
(3) क्या यह बात सही है कि BPL कार्डधारियों तथा अन्त्योदय कार्डधारियों को उपरोक्त किरासन तेल वितरण में सब्सीडी नहीं मिलने से गरीब परिवार के लोगों को महंगे दर पर किरासन तेल खरीदने में काफी पेरशानी झेलना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किरासन तेल में सब्सीडी देने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 21/2018– 2336 /राँची, दिनांक 18/07/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3174/वि०स०, दिनांक 11.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
सरकार के उप सचिव।

49

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 19.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में आँगनबाड़ी सेविका को प्रतिमाह 15,000/– रुपये तथा सहायिका को प्रतिमाह 7,500/– रुपये मानदेय दिया जाता है, जिनके अनुपात में झारखण्ड प्रदेश में कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को अत्यंत ही कम मानदेय दिया जाता है ;</td><td>(A) आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में प्रतिमाह भुगतान की जा रही मानदेय की राशि की जानकारी विभाग को नहीं है। संबंधित राज्यों से भुगतान की जा रही मानदेय की राशि की जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
(B) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं के मानदेय का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है, जिसके अधीन केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 : 40 है।
(C) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से अतिरिक्त मानदेय का भी भुगतान किया जा रहा है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र</th><th>पदनाम</th><th>निर्धारित मानदेय</th><th>केन्द्रांश (60%)</th><th>राज्यांश (40%)</th><th>राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आंगनबाड़ी सेविका</td><td>3000</td><td>1800</td><td>1200</td><td>1400</td><td>4400</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आंगनबाड़ी सहायिका</td><td>1500</td><td>900</td><td>600</td><td>700</td><td>2200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ एवं आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन द्वारा प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय वृद्धि करने की मांग को लेकर लगातार धरणा–प्रदर्शन किया जाता है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं द्वारा अतिरिक्त मानदेय वृद्धि करने की मांग को लेकर दिनांक– 17.01.2018 से 31.01.2018 (15 दिन) हड़ताल एवं धरणा–प्रदर्शन इत्यादि किया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदेश में कार्यरत उक्त कर्मियों के अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>वैसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्र0–207/2018 –1964 राँची, दिनांक : 17-07-2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 2983/वि0स0 दिनांक–07.07.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018.

(लालू कच्छप)
सरकार के उप सचिव।

(50)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि अडानी पावर लिमिटेड को कोल लिंकेज नहीं मिलने के कारण 12 प्रतिशत बिजली वैरिएबल कॉस्ट के बदले फिक्सड कॉस्ट व वैरिएबल कॉस्ट पर लेना पड़ेगा जिससे सरकार को सालाना 294 करोड़ का नुकसान होना तय है, ऐसी आशंका महालेखाकार ने जतायी है?		ऊर्जा नीति 2012 में किये गये संशोधन के अनुसार कोल ब्लॉक आवंटन/लिंकेज प्राप्त नही होने की स्थिति में झारखण्ड ऊर्जा नीति 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में कुल 25% ऊर्जा क्रय राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थिर एवं परिवर्तनीय दर (Variable and fixed Cost) की समेकित दर से की जाएगी। महालेखाकार द्वारा तत्संबंधी उठाये गये आपत्ति के आलोक में कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन उन्हे प्रेषित किया जा चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय झारखण्ड ऊर्जा नीति 2012 के प्रावधानों के विपरीत है?		अस्वीकारात्मक। उक्त निर्णय झारखण्ड ऊर्जा नीति 2012 एवं तत्पश्चात् उक्त नीति में किये गये संशोधन (संकल्प संख्या–2542, दिनांक–06.10.2016) के आलोक में लिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली उत्पादन हेतु आधुनिक पावर एवं इण्लैंड पावर लिमिटेड के साथ किये गये MOU और अडानी पावर द्वारा किये गये MOU में समानता नहीं है?		आंशिक स्वीकारात्मक। आधुनिक पावर लिमिटेड एवं इण्लैंड पावर लिमिटेड के साथ एम0ओ0यु0 2012 के पूर्व ही किये गये हैं एवं अडानी पावर लि0 झारखण्ड के साथ किया गया एम0ओ0यु0 ऊर्जा नीति 2012 एवं उसमें किये गये आंशिक संशोधन के आलोक में किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झारखण्ड ऊर्जा नीति 2012 के अनुरूप अडानी पावर के मामले में भी फैसला लेना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 171 / दिनांक 12/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

संकल्प

संकल्प सं०–2/नि.निवेशक–03–12 ऊर्जा/2015 2542/ राँची, दिनांक 06-10-1

विषयः–झारखण्ड ऊर्जा नीति–2012 तथा पूर्ववर्ती पावर प्रोजेक्ट में किये गये एकीकृत विद्युत क्रय एकरारनामा के आलोक में अनुवर्ती नए पावर प्रोजेक्ट में किये जाने वाले एकरारनामा/(एम0ओ0यू0) द्वितीय चरण में विद्युत क्रय के संबंध में सिद्धान्त निर्धारण ।

झारखण्ड ऊर्जा नीति–2012 में उल्लेखित एकरारनामा से संबंधित कंडिका, झारखण्ड सरकार द्वारा ऊर्जा नीति से पूर्व चली आ रही एम0ओ0यू0 प्रारूप में उल्लेखित विद्युत क्रय (PPA) से संबंधित कंडिका एवं कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट–2015 के लागू होने के बाद कालान्तर में विभिन्न प्रावधानों/नीतियों में तारतम्यता स्थापित करने के प्रयोजनार्थ विद्यमान ऊर्जा नीति में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. झारखण्ड ऊर्जा नीति–2012 की कंडिका–2 (ऊर्जा नीति–हिन्दी भाषा में), जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के केन्द्र बिन्दु को स्थापित करने तथा राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उत्पादकों को सुविधा प्रदत्त करने हेतु प्रख्यापित है उसमें उत्पादित विद्युत क्रय करने के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नवत् हैः–

"ऐसे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को सुविधाप्रदाता के रूप में बढ़ावा देना जिनके द्वारा राज्य में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने तथा संस्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत तक सीमित प्रथम अस्वीकृति अधिकार के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले मूल्य

(105)

पर राज्य को विद्युत आपूर्ति करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।"

3. राज्य सरकार द्वारा उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड ऊर्जा नीति की सुसंगत कंडिका के बिन्दुओं को रखते हुए निम्न बिन्दु तथा स्पष्टीकरण को समाविष्ट किया जाता है :–

क. नई कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के वर्तमान स्वरूप एवं झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में वर्णित प्रावधान (कंडिका 6.1–कच्चा माल सिक्यूरिटी) के अन्तर्गत राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु यथा ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा माल (कोयला) किसी भी आवेदक/इकाई को झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, राँची से नियमानुसार आवंटन/लिंकेज प्राप्त हो सकता है। अतः ऐसे आबंटन/लिंकेज प्राप्त होने पर प्रथम अस्वीकृति अधिकार के अधीन 25% तक की सीमा में 12% की हद तक परिवर्त्तनीय दर (Variable Cost) पर विद्युत अपूर्ति ली जाएगी तथा 13% परिवर्तनीय एवं स्थिर दर पर विद्युत आपूर्ति ली जाएगी और कोल आवंटन/लिंकेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखण्ड ऊर्जा नीति–2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में कुल 25% ऊर्जा का क्रय राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थिर एवं परिवर्त्तनीय दर की समेकित दर से की जाएगी।

ख. निजी क्षेत्र के प्रस्तावित ताप विद्युत इकाई द्वारा छः पैसे प्रति यूनिट(6 पैसे/यूनिट) को पर्यावरण प्रबंधन निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग निधि के नाम के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन में किया जाएगा।

4. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–19.09.2016 की बैठक (मद संख्या–30) में प्राप्त है।]

(107)

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय।

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 3542 / दिनांक 06-10-16

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने / संयुक्त सचिव–सह–ई नोडल पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, राँची को ई–गजट झारखण्ड राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने के निदेश के साथ प्रेषित ।

5/10/16
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

(51)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न अ०-सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की सभी सरकारी तथा गैर–सरकारी बांधों (तालाबों) को जल संचयन की दृष्टिकोण से गहरीकरण व जीर्णोद्धार करने का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में ली गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हटिया, राँची के बसाडगढ़ में लगभग 50 वर्ष पुरानी 05 एकड़ में फैली बांध (तालाब) अवस्थित है जो इन दिनों अस्तित्व विहीन होने की स्थिति में है तथा अबतक उक्त बांध (तालाब) के पक्कीकरण न होने के कारण उसके बड़े भू–भाग का अतिक्रमण कर ली गई है ;	बाँध के आस–पास उसके जल ग्रहण क्षेत्र में रिहायशी इलाका बस गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित व राज्यहित में खण्ड–02 में वर्णित बांध (तालाब) का यथाशीघ्र सीमांकन कराकर चालू वित्तीय वर्ष में उक्त बांध (तालाब) का गहरीकरण के साथ–साथ पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिंचाई विभाग द्वारा किसी योजना का जीर्णोद्धार सिंचाई के उददेश्य से ही किया जाता है। विषयांकित योजना का जल जमाव क्षेत्र एवं सिंचाई योग्य क्षेत्र (Command) विभागीय मानक के अनुरूप नहीं हैं।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–10–अ०सू०–07 / 2018 3078 / राँची, दिनांक– 17/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक– 3227 दिनांक– 13.07.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।